# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
# Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++
Email.:-registrar@ccsuniversity.ac.in
website:- www.ccsuniversity.ac.in

**पत्रांक : सम्बद्धता/ 1605 2025–26** **दिनांकः 2-7-2026**

**सेवा में,**

**01.** **सचिव/प्राचार्य**
**समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय**
**सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।**

**02.** **विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक**
**विश्वविद्यालय परिसर,**
**चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।**

**विषयः–वर्ष 2026–27 के लिये गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरूस्कार हेतु प्रस्ताव/आवेदन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय/महोदया,**

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 177/चालीस–2026–18–1–2021 दिनांकः 22 जून, 2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जो कि वर्ष 2026–27 के लिये गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरूस्कार हेतु प्रस्ताव/आवेदन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप शासन के संलग्न पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

**संलग्नकः यथोपरि।**

**भवदीय,**

02/7/26

**सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)**

**प्रतिलिपिः–**

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. वयैक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रेस प्रवक्ता/वेबसाइंट प्रभारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

**सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)**

A500
30/6/26

महत्वपूर्ण
संख्या: 177 /चालीस-2026-18-1-2021

प्रेषक,

एस0वी0रंगाराव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

AR. (Affiliation)
29/6/26
कुलसचिव
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2026

विषय- वर्ष 2026-27 के लिए गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु प्रस्ताव/आवेदन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के स्वरूप/कार्यकारी सिद्धान्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप सं0-1340/चालीस-2001-15(10)99, दिनांक 03-8-2001 का संन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार प्रश्नगत पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताऐं निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं:-

1. भारत का मूल नागरिक हो।

2. उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो,

3. मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो।

4. गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार न दिया जा चुका हो।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हों, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरू गोविन्द सिंह के जन्म दिवस पर ''गुरूगोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार'' प्रदान किये जाने व रू0 एक लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद से इस पुरस्कार के मापदण्डों को पूरा करने वाले पात्र महानुभावों के प्रस्ताव उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का तथ्यात्मक विवरण, अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ संलग्न प्रारूप में स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- मार्गदर्शी सिद्धान्त में प्रक्रियानुसार समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करके निर्धारित प्रारूप (छायाप्रति संलग्न) में प्रश्नगत पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र/नामांकन को संकलित कर निर्धारित तिथि तक शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5- जिन महानुभावों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त आख्या में व्यापक जांच कर तथ्यात्मक विवरण अभिलेखीय साक्ष्यों सहित यह भी प्रमाण-पत्र अंकित किया जाए कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला प्रचलित/लम्बित नहीं है और किसी भी आपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित नहीं किया गया है।

6- यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य के लिये जनपद के वरिष्ठ अधिकारी को

उत्तरदायित्व सौंपा जाए एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

एस0वी0रंगाराव,
प्रमुख सचिव

संख्या 177(1)/चालीस-2025-18-1-2025 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त पुरस्कार के आवेदन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेषित:-
1. निदेशक, उ०प्र० पंजाबी अकादमी-444 चतुर्थ तल. इंदिरा भवन, लखनऊ ।
2. निदेशक, उ०प्र० हिन्दी संस्थान,राजर्षि पुरूषोतम दास टंडन हिन्दी भवन,6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरत गंज लखनऊ
3. सचिव. उ०प्र० उर्दू अकादमी, विभूति खण्ड. गोमती नगर, लखनऊ।
4. निदेशक, उ०प्र० सिन्धी अकादमी-पंचम तल. इंदिरा भवन, लखनऊ ।
5. निदेशक, उ०प्र० संस्कृत संस्थान,लखनऊ ।
6. सचिव,फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी. विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।
7. सचिव, हिन्दुस्तानी अकादमी. प्रयागराज।
8. निदेशक,उ०प्र० भाषा संस्थान. सप्तम तल. इंदिरा भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष. पिछडा वर्ग कल्याण/अनुसूचित जाति जनजाति/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, उत्तर प्रदेश. लखनऊ।
10. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त पुरस्कार के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लाल बहादुर सिंह
अनु सचिव।